

0/2022

02/08/22


पत्रावली पेश हुई।


वकील प्रार्थी उपस्थित।

अप्रार्थी स्वयं भय अधिवक्ता उप।

प्रार्थनापत्र पर बहल सुनी गई। पत्रावली

वाक्ये निर्णय आदेश दि. 25/8/22 को पेश हो।

  
(लक्ष्मण सिंह)

  
जिला कलेक्टर, पाली

25/08/2022

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी उप।

वकील अप्रार्थी उप।

बहल पर भ्रमन किया, प्रार्थनापत्र में दर्ज तथ्यों एवं न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया।

लिहाना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.प. 4597 पंचायती राज अधिनियम सहायक धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं पंचायत निगरानी सं. 178/2020 बअनवान लक्ष्मण सिंह बनाम शिशुपाल सिंह मूल ही पृष्ठ पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (खिलिंग) पाली को सुनवाई हेतु स्थानांतरित किया जाता है।

मूल: पत्रावली संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावे, प्र.प. फैसल में शुभा बेटा मम्बर से कर हो।

निर्णय आदेश दि. 25/8/22 को सरे इजलाह सुनाया गया।

  
जिला कलेक्टर, पाली

158364

01/09/22